अति–आवश्यक / आज जारी हो।
स्वाधीनता दिवस समारोह–2017

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

विषयः–स्वाधीनता दिवस समारोह–2017 के अवसर पर योग्यता प्रमाण–पत्र प्रदान किये जाने बाबत्।

आगामी स्वाधीनता दिवस समारोह–2017 के अवसर पर राजस्थान सिविल सेवा (ईनाम,योग्यता पुरस्कार एवं योग्यता प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाना) नियम, 1973 के नियम–7 के अन्तर्गत जिला कलेक्टरों, राज्य सरकार के अधिकारियों एवं कर्मचारियों एवं सहकारी संस्थाओं / नगर पालिकाओं / परिषदों / निगमों / मण्डलों / बोर्डों / जिला परिषदों आदि के राजपत्रित अधिकारियों तथा अराजपत्रित कर्मचारियों को उनकी विशिष्ठ सेवाओं के लिए योग्यता प्रमाण–पत्र प्रदान किये जायेंगे, जिनके लिए प्रस्ताव निम्नानुसार आमंत्रित हैः–

1. विभाग द्वारा अपने स्तर पर परीक्षण किया जाकर न्यूनतम दो वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन "उत्कृष्ट" श्रेणी तथा शेष "बहुत अच्छा" श्रेणी के होने पर ही प्रस्ताव सात वर्षों यथा वर्ष 2010–2011 से 2016–17 तक वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन सहित प्रेषित किये जावें। अन्यथा प्रस्ताव को अपूर्ण मानकर उस पर विचार नहीं किया जावेगा।
2. प्रस्ताव प्रशासनिक सचिव की सिफारिश व संबंधित मंत्री से अनुमोदन प्राप्त कर भेजें।
3. प्रस्ताव छः प्रतियों में प्रेषित करें।
4. प्रस्ताव के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र के सभी बिन्दुओं की प्रविष्टियाँ पूर्ण करें।
5. प्रस्ताव के साथ उल्लेखनीय कार्य का संक्षिप्त विवरण, जो लगभग एक पृष्ठ से अधिक नहीं हो, हिन्दी भाषा में छः प्रतियों में स्वच्छ टंकित कर संलग्न करें।
6. राजपत्रित अधिकारियों / अराजपत्रित कर्मचारियों के अलग–अलग प्रस्ताव भेजें।
7. प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी के प्रस्ताव, संबंधित विभागीय प्रशासनिक सचिव के माध्यम से भेजे जावें।
8. प्रपत्र के कॉलम संख्या–5 का प्रमाणिकरण अभिलेख के आधार पर करें।
9. एक विभाग से अधिकतम 2 राजपत्रित अधिकारियों व 2 अराजपत्रित कर्मचारियों के नाम योग्यता प्रमाण–पत्र के लिये प्रस्तावित किये जावें।
10. एक सहकारी संस्था / नगरपालिका / निगम / मण्डल / बोर्ड / जिला परिषद से अधिकतम एक ही अधिकारी या कर्मचारी का प्रस्ताव भेजें।

11. जिला कलेक्टरों को योग्यता प्रमाण–पत्र दिये जाने के लिए प्रशासनिक विभाग तीन–तीन जिला कलेक्टरों के नामों की सिफारिश के प्रस्ताव उनके द्वारा सम्पादित निम्नांकित (1) राजस्व वसूली तथा राजस्व संबंधी प्रकरणों का निपटारा (2) बीस सूत्री कार्यक्रम तथा अन्य विशिष्ठ योजना/योजनान्तर्गत कार्यक्रय की उपलब्धियां (3) विकास संबंधी कार्य (4) कानून एवं व्यवस्था संबंधी कार्य इत्यादि कार्यों/उपलब्धियों के तुलनात्मक विवरण के साथ संबंधित प्रशासनिक विभाग अपनी अनुशंषा सहित प्रस्ताव, मय वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों के साथ 6 प्रतियों में संबंधित मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त कर भिजवावें।
12. पूर्व में योग्यता प्रमाण–पत्र से सम्मानित जिला कलेक्टर/अधिकारी/कर्मचारी के प्रस्ताव नहीं भेजें जावें तथा प्रत्येक प्रस्ताव मंत्रिमण्डल सचिवालय को भेजते समय यह भी प्रमाणित करें कि पूर्व में योग्यता प्रमाण–पत्र से सम्मानित नहीं किया गया है।
13. अशा0 टीप के साथ प्रस्ताव मंत्रिमण्डल सचिवालय को प्रेषित करते समय यह उल्लेखित किया जावे कि इस प्रस्ताव पर माननीय मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है एवं संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के पिछले 7 वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदनों का नियमानुसार परीक्षण कर लिया गया है।

अतः अनुरोध है कि आपके अधीन नियोजित जिला कलेक्टरों, सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को योग्यता प्रमाण–पत्र दिये जाने हेतु उनके सेवाकाल के संबंध में विवरण तथा उनकी सेवायें किस प्रकार असाधारण रूप से उपयोगी सिद्ध हुई, उसके संबंध में कारणों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए अपनी टिप्पणी सहित संबंधित मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त कर, प्रस्ताव संलग्न प्रपत्र में **दिनांक 25 जुलाई, 2017 तक अवश्यमेव मंत्रिमण्डल सचिवालय को भिजवा दिये जावें,** ताकि यथा समय उन पर अग्रिम कार्यवाही की जा सके। **इस तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर किसी प्रकार की कार्यवाही किया जाना संभव नहीं होगा।**

साथ ही यह भी लेख है कि संबंधित प्रशासनिक विभाग उक्त बाबत प्रस्ताव भेजते समय अधिकारी/कर्मचारी के गोपनीय प्रतिवेदनों का वांछित मूल्यांकन करके ही प्रस्ताव मंत्रिमण्डल सचिवालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

IMPORTANT

(पवन कुमार गोयल)
प्रमुख शासन सचिव

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/
शासन सचिवगण।

अशा0 टीप क्रमांकः प0 25(2)मं.मं./2017
जयपुर, दिनांकः– 15 JUN 2017

1. प्रतिलिपि समस्त विभागाध्यक्षों (जिला कलेक्टरों सहित) को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया इस संबंध में प्रस्ताव संबंधित प्रशासनिक विभाग के माध्यम से ही मंत्रिमण्डल सचिवालय को प्रेषित करें। सीधे प्राप्त होने वाले प्रस्तावों तथा अधिकारी द्वारा अपने स्वयं के प्रस्ताव अपने स्तर से तैयार कर प्रेषित किये जाने पर, उक्त प्रस्तावो पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
2. प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राज0, जयपुर को प्रकाशनार्थ।

(एन0एल0 जेवरिया)
शासन उप सचिव

योग्यता प्रमाण–पत्र प्रदान किये जाने हेतु आवेदन के साथ दी जाने वाले सूचना

1. (क) नामः

   (ख) पदनाम, पै–बैण्ड, वर्तमान वेतन एवं ग्रेड–पे सहितः

   (ग) नियुक्ति के दिनांक से आज तक धारित किये गये पदः

   (घ) सेवा का नाम(राजपत्रित/अराजपत्रित):

   (ड.) घर का पताः

   (च) टेलीफोन नं0 (निवास/कार्यालय)/मोबाईल नं0,यदि कोई हो तोः

2. जन्म तिथिः

3. सरकारी सेवा में प्रवेश की तारीखः

4. ऐसे कार्य से संबंधित सूचना जिसके अधीन अभ्यर्थी के चयन के लिए विचार किया गया है।

5. विभागाध्यक्ष द्वारा प्रमाण–पत्रः

   (क) अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कोई विभागीय जांच लम्बित नहीं है।
   (ख) अधिकारी/कर्मचारी को पूर्व में दण्डित नहीं किया गया है।

6. विभाग द्वारा अग्रेषण टिप्पणीः

7. प्रशासनिक विभाग की अनुशंषाः

8. पूर्व में यदि योग्यता प्रमाण–पत्र प्रदान किया गया हो तो उनका विवरणः

9. अन्य कोई सुसंगत सूचनाः

विभागाध्यक्ष/सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर